मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय तल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल

(ए–160 / रासूआ / 20–1 / जबलपुर / 2006)

एवं

(ए–192 / रासूआ / 20–1 / जबलपुर / 2006)

श्री एस.एस.बख्शी, अपीलकर्ता
104, जे0के0 काम्पलेक्स,
गोरखपुर, जबलपुर

विरूद्ध

प्राचार्य लोक सूचना अधिकारी
शासकीय स्वशासी मानकुंवर बाई
कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय,
जबलपुर, म0प्र0

आदेश

(दिनांक 22.06.06)

श्री एस.एस.बख्शी, अपीलकर्ता ने दो अपीलें एक ही विषय पर राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत की है । यह अपील राज्य सूचना आयोग में ए–160 / रासूआ / 20–11 / और दूसरी ए–192 / रासूआ / 20–11 / जबलपुर, पंजीकृत की हैं । इन दोनों अपीलों में एक ही पक्षकार है ।

2. अपीलकर्ता श्री एस.एस.बख्शी ने एक आवेदन पत्र दिनांक 06.01.2006 को अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, शासकीय स्वशासी मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय, जबलपुर को निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करने के लिये पत्र दिया था :–

''उत्तर पुस्तिकाओं का भौतिक सत्यापन कर सूचित करें कि वर्ष 1999 बी.कॉम. तृतीय विषय सांख्यिकी की कितनी उत्तरपुस्तिकाएं आपके महाविद्यालय में सुरक्षित हैं ।''

3. इस आवेदन पत्र के उत्तर में लोक सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को यह सूचना दिनांक 02 / 02 / 06 को दी थी कि, 'इस सम्बन्ध में जांच लंबित है कृपया अवगत होवें '। लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने एक अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी को दिनांक 22 / 02 / 06 को प्रस्तुत की थी । इस अपील के उपरान्त अपीलकर्ता ने दिनांक 23.3.06 को द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत की है और उसमें यह उल्लेख किया है कि उनके द्वारा जो प्रथम अपील प्रस्तुत की थी उसमें उन्हें उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। यह अपील ए–160 के रूप में राज्य सूचना आयोग में पंजीकृत की गई है।

4. इसी विषय से सम्बन्धित एक दूसरी अपील दिनांक 17.04.06 को राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत की गई है, जो ए–192 के रूप में पंजीकृत है। यह अपील लोक सूचना अधिकारी के समक्ष दिनांक 06.01.06 को जो जानकारी मांगी गई थी, उसी से सम्बन्धित है । फर्क इतना है कि इस अपील के साथ प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश जो दिनांक 20.03.06 को पारित किया गया था, उसकी प्रति भी लगायी गयी है ।

5. यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 19 (6) के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि प्रथम अपील का निराकरण अपील अधिकारी के द्वारा ''**30 दिन या ऐसा विस्तृत समय जो 45 दिन से अधिक न हो** '' में किया जाना चाहिए । अपीलकर्ता ने पहली अपील इसी विषय पर जो ए–160 है, प्रथम अपील के निराकरण के लिये जो निर्धारित समय है उसके पूर्व ही प्रस्तुत की है और अपीलकर्ता ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की प्रतीक्षा नहीं की है। यद्यपि कि यह आदेश 30 दिन की निर्धारित समय सीमा में पारित किया गया था । उनकी दूसरी अपील ए–192 है। उसमें भी उन्होने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि उन्होने इसी विषय पर एक अपील दिनांक 23.03.06 को राज्य सूचना आयोग को भेजी है। यही नही, जब अपील क्रमांक ए–160 की सुनवाई राज्य सूचना आयोग में दिनांक 02.06.06 को रखी गई थी, तब भी उन्होने यह नहीं बताया कि इस विषय से सम्बन्धित उन्होने एक अन्य अपील भी प्रस्तुत की है।

6. अपील क्रमांक ए–160 की भोपाल में दिनांक 02.06.06 को सुनवाई की गई थी जो बी0कॉम तृतीय, साख्यकी की उत्तर पुस्तिकाओं के भौतिक सत्यापन से सम्बन्धित था । उस समय यह निर्देश दिये गये थे कि भौतिक सत्यापन कराकर अपीलकर्ता को जानकारी प्रदान कर दी जाये। दूसरी अपील के सम्बन्ध में जानकारी इन निर्देशों के देने के बाद ध्यान में लाई गई थी और यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को दिनांक 15/06/06 को जहां पर अपील क्रमांक 192 पहले से ही सुनवाई के लिये रखी गयी थी, पुनः श्रवण किया जाये ।

7. इन अपील प्रकरणों – ए–160 और ए–192 – पर दिनांक 15.06.06 को जबलपुर में सुनवाई की गई, जिसमें अपीलकर्ता, लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी उपस्थित थे । मौखिक सुनवाई के समय लोक सूचना अधिकारी ने बताया कि आयोग के मौखिक निर्देशों के अनुसार उन्होने उत्तर पुस्तिकाओं का भौतिक सत्यापन कराया है और इसकी जानकारी अपीलकर्ता को दे दी है। अपीलकर्ता का यह कहना है था कि इस विषय पर पूर्व में एक जानकारी दिनांक 23.12.05 को उन्होने प्रदान की गई थी, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं कि संख्या 170 बताई गई है और भौतिक सत्यापन के उपरांत संख्या 168 बताई गई है । इस प्रकार उन्हे यह भ्रामक जानकारी प्रदान की गई है।

8. मैने इस प्रकरण पर अपीलकर्ता के द्वारा दिये तथ्यों पर विचार किया है । यह सही है कि अपीलकर्ता को सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 170 उत्तर पुस्तिकाओं की जानकारी दिनांक 23.12.05 को दी गई थी । बी.कॉम. तृतीय वर्ष के सांख्यकी विषय पर 170 छात्राओं ने परीक्षा दी थी और 170 छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाएं महाविद्यालय में सुरक्षित थी । सामान्यतः उत्तर पुस्तिकाऐं परीक्षण के उपरांत आती हैं और उतनी ही होती है, जितनी छात्र–छात्राऐं परीक्षा में सम्मिलित होते हैं । इसलिये 170 छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित हुई तथा निश्चिय ही 170 पुस्तिकाऐं होनी चाहिए थी । इसी आधार पर लोक सूचना अधिकारी ने यह जानकारी अपीलकर्ता को प्रदान की है। इसके बाद ही तुरंत अपीलकर्ता ने भौतिक सत्यापन की बात उठाई । इससे यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को यह जानकारी रही होगी कि इन पुस्तिकाओं में से 02 पुस्तिकाएं निकाली गई हैं या कम है। यह जानकारी प्राचार्य जो लोक सूचना अधिकारी है उनकी जानकारी के बगैर निकाली जाना सम्भव है। यदि अपीलकर्ता को यह जानकारी नहीं होती तो इस

प्रकार की जानकारी मांगने के लिये वह दूसरी बार आवेदन पत्र भौतिक सत्यापन के लिये नहीं देते। अतः मैं यह नहीं समझता हूँ कि लोक सूचना अधिकारी ने किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी दी है । उन्होने वस्तुस्थिति से अनभिज्ञ होते हुए उक्त जानकारी दी है।

9. यहां यह उल्लेखनीय है कि इन दोनो आवेदन पत्रों में अपीलकर्ता का आचरण भ्रामक,संदिग्धपूर्ण और अनुचित रहा है। उन्होने इस विषय पर पहली अपील ए–160 बिना अपील अधिकारी के आदेश की प्रतीक्षा किये हुये प्रस्तुत की थी । आदेश प्राप्त होने के बाद उन्होने यह दूसरी अपील इसी विषय पर दूसरी बार प्रस्तुत की । इतना ही नहीं आयोग में जब दिनांक 02.06.06 को सुनवाई हुई तब भी उन्होने नहीं बताया कि उन्होने इसी विषय पर एक और अपील प्रस्तुत की है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने का अधिकार अवश्य नागरिकों को दिया गया है । लेकिन यह अपेक्षा की जाती है कि, वे अधिनियम की भावना के अनुरूप ही कार्यवाही करेंगे और निर्धारित प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं करेगे।

10. उपरोक्त निर्देशों के साथ इन दोनो अपीलों का निराकरण किया जाता है।

(टी.एन.श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
22 जून 2006